

जन्म प्रमाण पत्र बनवाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश

जन्म प्रमाण पत्र के निस्तारण हेतु अधिकतम सात दिन का समय निर्धारित है।

जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक संलग्नकों/प्रपत्रों का विवरण

(क) जन्म होने के इक्कीस दिन के अन्दर

संबंधित चिकित्सालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र/घर में जन्म होने की स्थिति में क्षेत्र के पार्षद/सदस्य, निकाय के महापौर/अध्यक्ष, क्षेत्र के विधायक/सांसद के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ दिया गया प्रमाण पत्र।

(ख) जन्म होने के इक्कीस दिन बाद से तीस दिन तक

1. जन्म प्रमाण पत्र/घर में जन्म होने की स्थिति में क्षेत्र के पार्षद/सदस्य, निकाय के महापौर/अध्यक्ष, क्षेत्र के विधायक/सांसद के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ दिया गया प्रमाण पत्र।
2. दो रुपये विलम्ब शुल्क के साथ

(ग) एक माह से एक वर्ष के अन्दर

1. जन्म प्रमाण पत्र/घर में जन्म होने की स्थिति में क्षेत्र के पार्षद/सदस्य, निकाय के महापौर/अध्यक्ष, क्षेत्र के विधायक/सांसद के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ दिया गया प्रमाण पत्र।
2. नोटरी द्वारा रुपये 10/- के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र जिसमें विलम्ब का कारण दिया गया हो।
3. पाँच रुपये विलम्ब शुल्क के साथ

(घ) एक वर्ष के उपरान्त

1. जन्म प्रमाण पत्र/घर में जन्म होने की स्थिति में क्षेत्र के पार्षद/सदस्य, निकाय के महापौर/अध्यक्ष, क्षेत्र के विधायक/सांसद के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ दिया गया प्रमाण पत्र।
2. नोटरी द्वारा रुपये 10/- के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र जिसमें विलम्ब का कारण दिया गया हो।
3. संबंधित एस.डी.एम. की अनुमति।
4. दस रुपये विलम्ब शुल्क के साथ

(ङ) पहचान पत्र जो अनुमन्य होंगे

1	ड्राइविंग लाइसेन्स	2	मतदाता पहचान पत्र	3	राशन कार्ड
4	बिजली बिल	5	बैंक पासबुक	6	किसान क्रेडिट कार्ड
7	टेलीफोन बिल	8	पैन कार्ड	9	गैस कनेक्शन
10	आधार कार्ड	11	पासपोर्ट	12	गृहकर बिल
13	शपथ पत्र	14	जीवन बीमा पॉलिसी	15	किसान बही
16	सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र				

(च) मोबाइल नम्बर देना आवश्यक है जिस पर आप को प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में नगर निकाय से सूचना एस0एम0एस0 के रूप में प्राप्त होगी।

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश

मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक संलग्नकों/प्रपत्रों का विवरण

(क) मृत्यु होने के एक माह के अन्दर

1. संबंधित चिकित्सालय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र/घर में मृत्यु होने की स्थिति में पार्षद/सदस्य निकाय के महापौर/अध्यक्ष क्षेत्र के विधायक/सांसद के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ दिया गया प्रमाण पत्र।
2. अप्राकृतिक अथवा दुर्घटना की स्थिति में पोस्टमार्टम/एफ.आई.आर. की रिपोर्ट।

(ख) मृत्यु होने के एक माह से एक वर्ष के अन्दर

1. संबंधित चिकित्सालय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र/घर में मृत्यु होने की स्थिति में पार्षद/सदस्य निकाय के महापौर/अध्यक्ष क्षेत्र के विधायक/सांसद के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ दिया गया प्रमाण पत्र।
2. नोटरी द्वारा रुपये दस के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र जिसमें विलम्ब का कारण दिया गया हो।
3. अप्राकृतिक अथवा दुर्घटना की स्थिति में पोस्टमार्टम/एफ.आई.आर. की रिपोर्ट।
4. विलम्ब शुल्क पाँच रुपये के साथ

(ग) मृत्यु होने के एक वर्ष के उपरान्त

1. संबंधित चिकित्सालय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र/घर में मृत्यु होने की स्थिति में पार्षद/सदस्य निकाय के महापौर/अध्यक्ष क्षेत्र के विधायक/सांसद के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ दिया गया प्रमाण पत्र।
2. नोटरी द्वारा रुपये दस के स्टाम्प पेपर के पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र जिसमें विलम्ब का कारण दिया गया हो।

अप्राकृतिक अथवा दुर्घटना की स्थिति में पोस्टमार्टम/एफ.आई.आर. की प्रति

3. विलम्ब शुल्क दस रुपये के साथ

(ङ) पहचान पत्र जो अनुमन्य होंगे

1	ड्राइविंग लाइसेन्स	2	मतदाता पहचान पत्र	3	राशन कार्ड
4	बिजली बिल	5	बैंक पासबुक	6	किसान क्रेडिट कार्ड
7	टेलीफोन बिल	8	पैन कार्ड	9	गैस कनेक्शन
10	आधार कार्ड	11	पासपोर्ट	12	गृहकर बिल
13	शपथ पत्र	14	जीवन बीमा पॉलसी	15	किसान बही
16	सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र				

(च) मोबाइल नम्बर देना आवश्यक है जिस पर आप को प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में नगर निकाय से सूचना एस0एम0एस0 के रूप में प्राप्त होगी।